संख्या- 47 /2021/ 907/30-3-2021

प्रेषक,

मदन मोहन,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनॉक 30 मार्च, 2020

विषय- उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष नियमावली 2014 के अनतर्गत गठित कोष प्रबन्धन समिति की बैठक दिनांक 26-02-2020 के अनुपालन में अग्रिम रूप से भुगतान किये जाने की स्वीकृति के साथ-साथ प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-68स0सु0/2021-84स0सु0/2004-21, दिनांक 10 मार्च, 2021, पत्र संख्या-69स0सु0/2021-84स0सु0/2004-21, दिनांक 10 मार्च, 2021 एवं पत्र संख्या-67स0सु0/2021-84स0सु0/2004-21, दिनांक 10 मार्च, 2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष नियमावली, 2014 के अन्तर्गत गठित कोष प्रबन्धन समिति की बैठक दिनांक 26.02.2020 के अनुपालन में शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग तथा सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को क्रमशः धनराशि रू0 30.00 लाख, 141.69 लाख तथा रू0 247.75 लाख अर्थात् कुल रू0 419.44 लाख के अग्रिम रूप से भुगतान किये जाने की स्वीकृति के साथ-साथ प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया वित्तीय वर्ष 2020-21 में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के राजस्व पक्ष के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-3055-सड़क परिवहन-800-अन्य व्यय-05-उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष से व्यय-42-अन्य व्यय की मद में प्रावधानित धनराशि रू0 1500.00 लाख के सापेक्ष शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग तथा सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को क्रमशः धनराशि रू0 30.00 लाख, 141.69 लाख तथा रू0 247.75 लाख अर्थात् कुल रू0 419.44 लाख (रू0 चार करोड़ उन्नीस लाख चवालीस हजार मात्र) के अग्रिम रूप से भुगतान किये जाने की स्वीकृति के साथ-साथ प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित तालिका में अंकित विवरण के अनुसार निर्गत करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्नांकित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0 सं0	प्रस्तावित मद/कार्य	निर्गत की जाने वाली धनराशि (रू0 लाख में)
1	2	3
1.	प्राथमिक/अपर प्राथमिक विद्यालयों की कक्षाओं में प्रदर्शन हेतु सड़क सुरक्षा सम्बन्धी कैलेण्डर-चार्ट हेतु शिक्षा विभाग को अग्रिम रूप से भुगतान किये जाने हेतु।	30.00
2.	मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित कमेटी ऑन रोड सेफ्टी द्वारा नेक आदमी हेतु जारी गाइड लाइन के अनुसार सभी चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्रमा0 केन्द्रों एवं कार्यालयों में डिस्प्ले बोर्ड/ चार्टर लगाये जाने के लिये चिकित्सा विभाग को अग्रिम रूप से भुगतान किये जाने हेतु।	141.69
3.	प्रचार-प्रसार की मद में सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के पत्र दिनांक 04.03.2021 द्वारा वांछित धनराशि रू0 1,02,12,074.00 तथा आगामी कार्यादेशों के भुगतान हेतु अनुमानित धनराशि रू0 1,45,62,926.00 अर्थात् कुल	247.75

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	रू0 2,47,75,000.00 की धनराशि सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग को अग्रिम रूप से भुगतान किये जाने हेतु।	
	योग -	**419.44 लाख (रू0 चार करोड़ उन्नीस लाख चवालीस हजार मात्र)**

(1) धनराशि कार्यदायी संस्था को निर्गत किये जाने के दिनांक से उनके द्वारा वास्तविक उपयोग किये जाने की तिथि तक अर्जित ब्याज को राजकोष में जमा कराया जायेगा।

(2) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिए भी सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।

(3) समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन दिनांक 31 मार्च 2021 तक अवश्य कर दिया जाएगा तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुए महालेखाकार के पुस्तांकित आंकड़ों में भी समायोजन सुनिश्चित कराते हुए अवगत करायेंगे।

(4) धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत स्वीकृति जिन कार्य/मद के लिए है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जाएगा।

(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यलय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष के लेखाशीर्ष "3055-सड़क परिवहन-800-अन्य व्यय-05-उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष से व्यय-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
ह0/-
(मदन मोहन)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 47/2021/907(1)/30-3-2021, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
5- वित्त (लेखा) अनुभाग-1
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
7- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(रेनू वर्मा)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in